न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 35 / 2020(2020 / 00130)

1. श्री गणेश पुत्र श्रीलाल माली
2. श्री राधेश्याम पुत्र श्री रामधन माली
3. श्री रामनिवास पुत्र श्री रामधन माली
4. श्रीमति हगामी पत्नी श्री रामधन जाति माली निवासीगण नयागांव तहसील सावर जिला अजमेर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री कैलाश पुत्र श्री हीरा माली निवासी नयागांव तहसील सावर जिला अजमेर
2. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील सावर

—अप्रार्थी

3. कैलाशी पुत्री श्री रामधन माली
4. राजी पुत्री रामधन माली
5. सुरमा पुत्री रामधन माली निवासीगण नयागांव तहसील सावर जिला अजमेर।

——प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

श्री हनुमान प्रसाद शर्मा — वकील प्रार्थी
पेरोकार सरकार(जरीये तहसीलदार सावर) — अप्रार्थी

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राज. काश्तकारी अधिनियम</u>

आदेश

दिनांक 18.4.2022

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रकरण के संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है:—

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम कर निवेदन किया यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नंम्बर 459 रकबा 0.69 हैक्टर किस्म, ख0नं0 426 रकबा 0.23 हैक्टर किस्म चाही 2 एंव खसरा नम्बर 457 रकबा 0.22 हैक्टर किस्म चाही 2 वाके ग्राम नयांगांव तहसील सावर मे स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण एंव प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 की एकमात्र खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात है जिसमे प्रार्थीगण एंव प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 के अलावा अप्रार्थी एंव अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नही है एंव न ही वास्ता व सरोकार है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 426 रकबा 0.23 हैक्ट्रर किस्म चाही2 एंव खसरा नंम्बर 457 रकबा 0.22 है किस्म चाही 2 एंव खसरा नंम्बर 459 रकबा 0.60 हैक्टर किस्म चाही 2 मे जाने आने हेतु रास्ता ख0नं0 466 एंव 467 किस्म गै0मु0रास्ते मे से होकर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी खानं0 460 रकबा 0.30

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 11:35:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

है0 किस्म चाही 1 की पश्चिमी मेड पर से होकर कदीमी रास्ता स्थित है जिसमे से होकर प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थी निर्बाध रूप से पूर्वजो के समय से ही यानि 70-80 वर्षो से आ जा रहे है एंव उक्त जगह मौके पर भी रास्ता मौजूद है उक्त चाहा गया रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। यह कि अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त रास्ते को जो कि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में है जिसे अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 26.05.2020 को तारो की जाली लगाकर बन्द कर दिया जिससे प्रार्थीगण एंव प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 5 की उपरोक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात मे जाने आने का एकमात्र कदीमी रास्ता बन्द हो गया और प्रार्थीगण की बोई हुई कपास, रिजके की फसल बिना पिलाई नष्ट हो रही है। प्रार्थीगण मजदूर काश्तकार व्यक्ति है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से काफी मिन्नते कि की उक्त रास्ते को बंद मत करो हमारी भूखो मरने की नोबत आ जायेगी, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 नही माना ओर ऐलानियां धमकीयां दी कि उक्त कदीमी रास्ता मेरी खातेदारी की आराजीयात मे है मै इसे बंद करूंगा, तू मेरा कुछ नही कर सकते तू उक्त रास्ता बंद हो गया। जिससे प्रार्थीगण को उक्त एकमात्र कदीमी रास्ता बंद होने के कारण बहुत परेशानीयो का सामना करना पड़ रहा है जिसका मुद्रा मे मूल्यांकन किया जाना संभव नही है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त कदीमी रास्ता खसरा नं 460 मे स्थित है जो करीब 20 फुट चौडा है जिसे अप्रार्थी संख्या 1 ने तारबंदी कर अवरूद्ध कर दिया है। प्रार्थीगण ने पुनः दिनांक 10.06.2020 को अप्रार्थी से रास्ता अवरूद्ध नही करने सकरा नही करने एंव आने जाने बैलगाडी, ट्रेक्टर पशुओ आदि के आने जाने मे बाधा उत्पन्न नही करने हेतु निवेदन किया तो लडाई झगडा करने लग गये एंव ऐलानियां धमकीयां दी कि उक्त आराजीयात हमारी खातेदारी की होने से उक्त कदीमी रास्ते को कतई अवरूद्ध करेंगे व अप्रार्थी लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 को पाबंद किया जावे कि उक्त खसरा नंम्बर 460 मे स्थित कदीमी रास्ते को अवरूद्ध नही करे एंव कृषि उपकरण ट्रेक्टर, बैलगाडी व जानवर वगैरह आने जाने मे बाधा नही पहुंचाया जावे। 26. यह कि प्रार्थनापत्र के पेरा संख्या 1 मे वर्णित आराजी मे आने जाने का वर्तमान मे विद्यमान एकमात्र कदीमी रास्ता जो करीबन 20 फूट चौडा है को अवरूद्ध कर रखा है को खुलासा करवाया जाना न्यायहित मे आवश्यक है तथा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस मे भी रास्ता इन्द्राज खसरा नं 460 मे करवाया जाना आवश्यक है एंव न्यायोचित है इसलिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाना लाजमी आया है। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज उक्त रास्ते की भूमी जो खसरा नं 460 मे से कदीमी रास्ता 20 फुट दर्ज करने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 को आदेश दिया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। तथा प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के आदेशानुसार रास्ते की भूमि का प्रतिकर जमा करवाने के लिए तैयार व तत्पर है। अप्रार्थी संख्या 1 से उक्त खसरा नं 460 मे स्थित कदीमी रास्ते को खुलासा करवाया जाना न्यायहित मे आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी को अजहद क्षति होगी तथा बहुवाद कार्यवाहियो का सामना करना पडेगा जिसका मुद्रा मे मुल्यांकन किया जाना सम्भव नही है। प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 अन्य कार्य हेतु बाहर रहने के कारण कोर्ट कार्यवाही मे भाग लेने में असमर्थ होने के कारण एंव आवश्यक पक्षकार होने के कारण प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के रूप मे पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 26.05.2020 व 10.06.2020 को उत्पन्न हुआ तथा अब दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे है। प्रार्थनापत्र पर न्याय शुल्क नियमानुसार चस्पा कर दिया गया है। अतः माननीय न्यायालय से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र के पेरा संख्या 1 मे वर्णित आराजी मे आने जाने का बैलगाडी ट्रेक्टर ट्रोली

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 11:35:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

कृषि उपज लाने ले जाने पशुओ आदि को आने जाने का एकमात्र कदीमी रास्ता 20 फुट चौडा जो अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी खसरा 460 में स्थित है, को खुलासा करवाया जाकर राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस मे भी रास्ते का इन्द्राज किया जावे एंव राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस मे भी रास्ता तरमीम किये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 को आदेश दिया जावे। और अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंद किया जावे कि उक्त कदीमी रास्ते को अवरूद्ध नही करे एंव प्रार्थी नियमानुसार प्रतिकर अदा करने के लिए तैयार व तत्पर है। जिसे स्वीकार फरमाने कि प्रार्थना कि है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को बावजुद तामिल अनुपस्थित होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब मय मौका रिपोर्ट पेश कि गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट निम्नानुसार है:–
प्रार्थी गणेश पुत्र श्रीलाल में पटवारी हल्का मेहरूकला के साथ ग्राम नयागांव मालियान तहसील सावर की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 459 के मौके पर प्रकरण संख्या 35/2020 गणेश वगैरह बनाम कैलाश वगै0 जाति माली अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी निवासी नयागांव मालियान में पालना रिपोर्ट हेतु मय राजस्व रेकार्ड पहुँचा आराजी खसरा नंबर 459 जो प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 460 रकबा 0.30 किस्म चाही 1 की दक्षिण मेड(पूर्व से पश्चिम) पर वर्षो से है और मौके पर भी रास्ता है जिसको अप्रार्थी श्री कैलाश पुत्र हीरा माली सा. देह ने तारबंदी कर बंद कर दिया है जिसको लगभग 3 माह हो चुका है वर्तमान में प्रार्थीगण की आरजी खसरा नंबर 459 में आने–जाने हेतु अस्थाई तौर पर खातेदार मूला पुत्र हीरा माली सा.देह की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 458 की उतरी मेड पर खडी फसल में से फसल बुवाई व पिलाई हेतु कृषि कार्य करने हेतु आने–जाने दिया जा रहा है जो अस्थाई है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा उक्त प्रकरण में निर्णय होने तक अस्थाई रास्ता दिया है प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नंबर 459 के लिए प्रस्तावित रास्ता आराजी खसरा नंबर 460 की दक्षिण में पूर्व से पश्चिम पर है जो गै.मु.रास्ता आराजी खसरा नंबर 467 से लगता हुआ है खसरा नंबर 460 रकबा 0.30हैक्टर किस्म चाही 1 में से रास्ता के लिए भूमि लम्बाई 45मी. व चौडाई 4.45मी. कुल क्षेत्रफल 200वर्गमीटर भूमि रास्ता के लिए प्रस्तावित होती है जिसकी डी.एल.सी रेट 210722 प्रति हैक्टर से 200 वर्गमीटर की कीमत 4214 व दुगुनी से 8428/– अखरे आठ हजार चार सौ अठ्ठाईस रूपये होते है।

वरवक्त सुनवाई प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकारी करने हेतु निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मोका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नंबर 459 के लिए प्रस्तावित रास्ता आराजी खसरा नंबर 460 की दक्षिण में पूर्व से पश्चिम पर है जो गै.मु.रास्ता आराजी खसरा नंबर 467 से लगता हुआ है खसरा नंबर 460 रकबा 0.30हैक्टर किस्म चाही 1 में से रास्ता के लिए भूमि लम्बाई 45मी. व चौडाई 4.45मी. कुल क्षेत्रफल 200वर्गमीटर भूमि रास्ता के लिए प्रस्तावित होती है जिसकी डी.एल.सी रेट 210722 प्रति हैक्टर से 200 वर्गमीटर की कीमत 4214 व दुगुनी से 8428/– अखरे आठ हजार चार सौ अठ्ठाईस रूपये होते है। नवीन रास्ता दर्ज किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 11:35:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

जाना उचित प्रतीत होता है। अतः विवेचन के आधार अनुसार प्रार्थी का वाद पत्र धारा अन्तर्गत 251 ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नंबर 459 के लिए प्रस्तावित रास्ता आराजी खसरा नंबर 460 की दक्षिण में पूर्व से पश्चिम पर है जो गै.मु.रास्ता आराजी खसरा नंबर 467 से लगता हुआ है खसरा नंबर 460 रकबा 0.30हैक्टर किस्म चाही 1 में से रास्ता के लिए भूमि लम्बाई 45मी. व चौडाई 4.45मी. कुल क्षेत्रफल 200वर्गमीटर भूमि रास्ता के लिए प्रस्तावित होती है जिसकी डी.एल.सी रेट 210722 प्रति हैक्टर से 200 वर्गमीटर की कीमत 4214 व दुगुनी से 8428/– अखरे आठ हजार चार सौ अट्ठाईस रूपये होती है। जिसका भुगतान करने के पश्चात उक्त आराजी खसरा नं 460 रकबा 0.30हैक्टर में से 200 वर्गमीटर सिवायचक सार्वजनिक गै.मु. रास्ते हेतु दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सावर द्वारा प्रार्थीगण से उक्त 8428 रूपये प्रार्थीगण से वसूल कर अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये सूचित करा राशि उपलब्ध करावे अप्रार्थीगण द्वारा राशि प्राप्त नही करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जाकर ग्राम नयागांव की आराजी खसरा नं. 459 में आने जाने के लिये रास्ता मौके पर्चे में वर्णितानुसार एंव नक्शाट्रेस में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार रास्ते के रूप में दर्ज एंव तरमीम की कार्यवाही करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 11:35:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner